राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांक प0 30(1) मं.मं./2014 जयपुर दिनांकः– 11/7/2014

परिपत्र

विषय :– राज्य सरकार के प्रशासनिक विभागों के वर्ष 2014–15 एवं आगामी वर्षों के प्रगति विवरण/प्रशासनिक प्रतिवेदन भेजने बाबत।

राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र में सदैव की भांति वजट प्रस्तुत करने से पूर्व राजकीय विभागों एवं उपक्रमों द्वारा वर्ष में किये गये कार्यो का विवरण/प्रगति की प्रतियां राजस्थान विधानसभा के माननीय सदस्यों को वितरित किये जाने हेतु भिजवानी होती है।

इस संबंध में लेख है कि मुख्य सचिव महोदय के हस्ताक्षर से जारी वित्त (बजट) विभाग के परिपत्र क्रमांकः प. 4(3)वित्त–1(1)बी/2006 दिनांक 27.4.2006 में दिये गये निर्देशों की पालना करते हुये वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन में विभागीय व्यय के आंकड़े दिसम्बर तक के ही शामिल किये जावें। **कृपया यह भी सुनिश्चित करें कि विधानसभा में भेजे जाने वाले वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन में चालू वित्तीय वर्ष के संशोधित अनुमान एवं आगामी वित्तीय वर्ष के बजट अनुमानों का उल्लेख नहीं किया जावे।**

वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन में एक रूपता तथा इसके अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए इसमें निम्न बिन्दुओं को भी समस्त राजकीय विभागों एवं उपक्रमों द्वारा वर्ष 2014–15 एवं आगामी वर्षों के प्रगति विवरण/प्रशासनिक प्रतिवेदन में सम्मिलित किया जाना सुनिश्चित किया जावे :–

1. **विभाग का संगठनात्मक ढांचा ।**
2. **स्वीकृत–कार्यरत तथा रिक्त पदों का विवरण ।**
3. **विभागीय प्रमुख कार्य तथा प्रत्येक प्रमुख कार्य के विरूद्ध आलौच्य वर्ष में प्रगति एवं उसकी विगत 3 वर्ष से तुलना ।**
4. **आलौच्य वर्ष की विशेष पहल एवं उपलब्धियॉ ।**
5. **सार– संक्षेप (Executive summary)**

(अजीत कुमार सिंह)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिवगण।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, राज्यपाल, राजस्थान,जयपुर।
3. सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिवगण।
5. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/सचिवालय के समस्त अनुभाग/प्रकोष्ठ।
7. रक्षित पत्रावली।

(हरी बाबू शर्मा)
वरिष्ठ शासन उप सचिव